मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

जी.पी.एच.कम्पाउण्ड, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर 452003

दूरभाष कमांक 0731 – 2426262, फेक्स नं. 0731– 2423300

कं./प्रनि/पक्षे/संयुक्त सचिव -II/475 इंदौर, दिनांक 18 JUN 2013

//आदेश//

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि, म.प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप कं. एफ 9–2/2010/नियम/चार, दिनांक 08.11.2012 सहपठित अधिसूचना कं. एफ 12–14/2009/नियम/चार, दिनांक 05.02.2013, ज्ञाप कं. एफ 12–14/2009/नियम/चार, दिनांक 03.04.2013 एवं अधिसूचना कं. एफ 12–14/2009/नियम/चार, दिनांक 03.04.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) जो पेंशन सारांशीकरण तालिका के पुनरीक्षण एवं म.प्र.सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 के नियम 10 के उपनियम 1 में संशोधन से संबंधित है, को यथावश्यक संशोधन (mutatis mutandis) सहित शासकीय सेवक के स्थान पर कंपनी कर्मचारी प्रतिस्थापित करते हुए अपने उन अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल से कंपनी को पूर्ण रूप से अंतरित की गई है, के लिये ग्राह्य किया जाता है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार सारांशीकरण के प्रावधान पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के आदेश कं. 01–13/3251/09, दिनांक 13.08.2009 द्वारा समेकित पेंशन नहीं अपितु उक्त समेकन के पूर्व की मूल पेंशन पर लागू होंगे ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

Sh. Vidhani
Pl. upload on website

आदेशानुसार

sd/-

(नारायण पाटीदार)

मुख्य महाप्रबंधक

(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

कं./प्रनि/पक्षे/संयुक्त सचिव -II/13495 इंदौर, दिनांक 18 JUN 2013

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता (इं.क्षे/उक्षे) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर/उज्जैन ।
3. मुख्य अभियंता (क्रय/एडीबी/कार्य/फीडर सेपरेशन/वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
5. मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
7. निदेशक (वित्त एवं लेखा) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
8. प्रोजेक्ट डायरेक्टर, (आरजीजीव्हीवाय), कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आरएपीडीआरपी) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर ।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ऑपरेशन्स/एमटी) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर ।

11. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (संचा:संधा) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. शाजापुर ।
12. अधीक्षण यंत्री (विस / व्या.विकास / डब्ल्यूडीएलसीसी / आयटी / आरएपीडीआरपी–ए) कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर
13. अधीक्षण यंत्री (भण्डार / एमटी–प्रथम / द्वितीय) वृत्त,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
14. समस्त अधीक्षण यंत्री (शहर / संचा:संधा) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
15. अधीक्षण यंत्री (आयटी) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.इंदौर । उक्त आदेश कंपनी की वेबसाइट पर प्रसारित करें।
16. कंपनी सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
17. समस्त कार्यपालन यंत्री (शहर / संचा:संधा / एसटीसी / एसटीएम / सिविल / एमटी) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. ....
18. उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
19. कल्याण अधिकारी / विधि अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
20. समस्त वरिष्ठ / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., ...
21. निज सचिव, प्रबंध निदेशक, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
22. प्रशासनिक अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।

– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(ए.एल. कुरैशी)
उप सचिव
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इंदौर

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 12-14/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 3-4-2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन)नियम, 1996 में संशोधन ।

संदर्भ- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12-14/2009/नियम/चार, दिनांक 5 फरवरी, 2013.

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के द्वारा पेंशन सारांशीकृत राशि को सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पश्चात् आगामी माह के प्रथम दिन को प्रत्यावर्तित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं । यह निर्देश इस आधार पर हैं कि सामान्यतः सेवानिवृत्ति के तुरंत पश्चात् पेंशन सारांशीकृत राशि एक मुश्त भुगतान की जाती है । इस एकमुश्त राशि का समायोजन आगे आने वाले 15 वर्षों में पूर्ण हो जाता है ।

2/ शासन के ध्यान में आया है कि कतिपय पेंशनर शासन द्वारा जारी किये गये नये कम्प्यूटेशन टेबल का लाभ उठाकर अपनी पेंशन को सारांशीकृत कराना चाह रहे हैं । ऐसी स्थिति में यदि 15 वर्ष की अवधि उनके सेवानिवृत्ति की तारीख से संगणित की जाती है, तो उन्हें सारांशीकृत राशि का एकमुश्त भुगतान तो हो जावेगा, परंतु ऐसे पेंशनरों की सारांशीकृत राशि अपेक्षाकृत कम समय में प्रत्यावर्तित हो जावेगी, जो उचित नहीं है । कतिपय मामलों में यह अवधि 5 वर्ष तक ही रह सकती है ।

3/ उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 12-4/2009/नियम/चार दिनांक 5-2-2013 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" शब्दों का संशोधन किया जावे । निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी किये गये संशोधन की अधिसूचना भी संलग्न है । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन का आशय मूल पेंशन से है न कि वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/2/2009/नियम/चार(भाग-1) दिनांक 3 अगस्त, 2009 द्वारा समेकित पेंशन से ।

4/ संलग्न अधिसूचना के फलस्वरूप अवं सारांशीकृत्त राशि का प्रत्यावर्तन सारांशीकरण की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने के अगले माह की प्रथम तारीख से, संभव हो सकेगा । यह आदेश/अधिसूचना दिनांक 5-2-2013 से प्रभावशील है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 3-4-2013

क्रमांकः एफ12-14/2009/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम,1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-10 के उपनियम (1) की दूसरी पंक्ति में "सेवानिवृत्ति" के स्थान पर "सारांशीकरण" पढ़ा जावे

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

PTO

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 9-2/2010/नियम/चार भोपाल,दिनांक 8 नवम्बर,2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारी/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पेंशन के सारांशीकरण का लाभ ।

—•••—

राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत मूल्य सारणी के अनुसार पेंशन का सारांशीकरण का भुगतान किया जाता है । राज्य वेतन आयोग ने छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों को पेंशन कम्यूटेशन मूल्य 8 प्रतिशत ब्याज पर आधारित अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा पेंशन सारांशीकरण की दर निम्नांकित तालिका अनुसार पुनरीक्षित की जाती है:-

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re. 1 PER ANNUM

S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)
1.	39	9.103
2.	40	9.090
3.	41	9.075
4.	42	9.059
5.	43	9.040
6.	44	9.019
7.	45	8.996
8.	46	8.971
9.	47	8.943
10.	48	8.913
11.	49	8.881
12.	50	8.846
13.	51	8.808
14.	52	8.768
15.	53	8.724
16.	54	8.678

S.no.	Employees age on next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
(1)	(2)	(3)
17	55	8.627
18	56	8.572
19	57	8.512
20	58	8.446
21	59	8.371
22	60	8.287
23	61	8.194
24	62	8.093
25	63	7.982
26	64	7.862
27	65	7.731
28	66	7.591
29	67	7.431
30	68	7.262
31	69	7.083
32	70	6.897

PTO

यह आदेश दिनांक 1-8-2012 से प्रभावशील होगें । नियमों में यथास्थान संशोधन के आदेश पृथक से जारी किए जाएगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग